

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 95] No. 95]

2277 DG/08

दिल्ली, सोमवार, जुन 16, 2008/ज्येष्ठ 26, 1930

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 74

DELHI, MONDAY, JUNE 16, 2008/JYAISTHA 26, 1930

[N.C.T.D. No.74

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 16 जून, 2008

सं.फा. 33 (17)/शिक्षा/96/903-920. — दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 के नियम 110 (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिल्ली के प्रशासक/उपराज्यपाल निजी मान्यताप्राप्त स्कूलों के उन प्रधानाचार्यों तथा शिक्षकों की सेवा में विस्तार हेतु विचार करने/प्रदान करने के लिये निम्नलिखित नीति निदेश जारी करते हैं जिन्हें राज्य/राष्ट्रीय/पद्मश्री/पद्मभूषण/पद्मविभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया हो।

- 1. निजी मान्यताप्राप्त स्कूलों के राज्य पुरस्कार प्राप्त प्रधानाचार्यों तथा शिक्षकों की सेवार्ये संबंधित स्कूल के प्रबंध समिति के अनुरोध पर अधिकतम तीन वर्षों तक बढ़ाई जायेगी।
- निजी मान्यताप्राप्त स्कलों के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त प्रधानाचार्यों तथा शिक्षकों की सेवा पहली बार संबंधित स्कूल के प्रबंध समिति के अनुरोध पर तीन वर्षों के लिए बढ़ाई जायेगी। स्कूल की प्रबंध समिति के अनुरोध पर उसे आगे दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त प्रधानाचार्य तथा शिक्षक की सेवा का विस्तार अधिकतम पांच वर्षों का होगा।
- 3. निजी मान्यताप्राप्त स्कूलों के पद्मश्री/पद्मभूषण/पद्मविभूषण पुरस्कार प्राप्त प्रधानाचार्यों तथा शिक्षकों की सेवा स्कूल की प्रबंध समिति के अनुरोध पर पहली बार पांच वर्षों तक बढ़ाई जायेगी। स्कूल की प्रबंध समिति के अनुरोध पर उसे आगे दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। पद्मश्री/पद्मभृषण/पद्मविभृषण पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सेवाओं का विस्तार इस प्रकार अधिकतम सात वर्षों तक होगा।
- 4. प्रधानाचार्य तथा शिक्षक को प्रदान किया गया पदमश्री/पदमभूषण/पदमविभूषण पुरस्कार स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिये ही दिया जाना चाहिये।
 - 5. पुरस्कार प्राप्त करने वालों की अधिकतम आयु-सीमा विस्तार की अविध के दौरान 67 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिये। (1)

DELHI GAZETTE TRAORDINARY

PART IV

- 6. यदि प्रधानाचार्य तथा शिक्षक ने पैरा 1, 2 तथा 3 में उल्लिखित पुरस्कारों की एक से अधिक श्रेणी प्राप्त की हैं तो वह केवल एक श्रे के अन्तर्गत सेवा विस्तार का हकदार होगा।
- 7. सेवा का विस्तार उन मामलों में शैक्षणिक सत्र के अन्तिम दिवस को समाप्त होगा जहाँ विस्तार 1 अक्तूबर या किसी विशेष शैक्षणिक सत्र में बाद में समाप्त होता हो।
- 8. ऐसे पुरस्कार प्राप्त प्रधानाचार्य तथा शिक्षक की सेवा में विस्तार करना प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में दिल्ली के माननीय प्रशासक/उपराज्यपाल के पूर्व अनुमोदन के अनुसार होगा।

इसे दिनांक 18-3-08 के पत्र संख्या 724-एफ के अनुसार माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन से जारी किया गया है।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

अंकिता मिश्रा, संयुक्त सचिव

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 16th June, 2008

- No. F. 33(17)/Edn./96/903-920.—The Administrator/Lt. Governor of Delhi in exercise of powers under rule 110 (3) of Delhi School Education Rules, 1973, is pleased to issue the following policy directives for considering/granting extension in service to the Principals and Teachers of Private Recognized Schools who are State/National/Padma Shree/Padma Bhushan/Padma Vibhushan Awardees.
- 1. The services of State Awardee Principals and Teachers of Private Recognized Schools shall be extended upto maximum 3 years on the request of the Management of the school concerned.
- 2. The services of the National Awardee Principals and Teachers of the Private Recognized Schools shall in the first instance be extended upto three years on the request of the Management of the school concerned. The same can further be extended upto 2 years on the request of Management of the school. Thus extension of service for a National Awardee Principal and Teacher shall be for a maximum of 5 years.
- 3. The services of the Padma Shree/Padma Bhushan/Padma Vibhushan Awardee Principals and Teachers of Private Recognized Schools shall be extended in the first instance upto five years on the request of the Management of the school concerned. The same can further be extended upto 2 years on the request of the Management of the School. The extension of services for Padma Shree/Padma Bhushan/Padma Vibhushan Awardees shall thus be for a maximum of 7 years.
- 4. The Padma Shree/Padma Bhushan/Padma Vibhushan Award granted to a Principal and a Teacher should have been conferred for outstanding work in the field of school education.
 - 5. The upper age limit of the Awardees should not exceed 67 years during the period of extension.
- 6. If the Principal and the Teacher is recipient of more than one category of Award as mentioned in para 1, 2 and 3, he/she shall be entitled for extension only under one category.
- Extension of service would terminate on the last day of the academic session in cases where the extension expires on 1st October or later in the particular academic session.
- 8. The grant of extension in service to such an Awardee Principal and Teacher shall be subject to the prior approval of Hon'ble Administrator/Lt. Governor, Delhi in each individual case.

This issues with the prior approval of Hon'ble Lt. Governor, Delhi, vide No. 724-F dt. 18-3-2008.

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

ANKITA MISHRA, Jt. Secy.